AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

अदालत सहायक कलक्टर एवं मुकाम उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

बालुराम बनाम मोहनराम

मुकदमा 111, 128 नं. 21/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/2022	वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22/02/2022 को पेश हो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
22/2/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों के जरिये रजि. एडी. पेश करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 28.02.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
02 2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार में/अवकाश पर हैं। पत्रावली मुल्तवी होकर दिनांक 19/4/2022 को पेश हो।	
4/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरेन्द्र कुमार ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला-जोधपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–21/2022

प्रार्थीगणः–

1. बालूराम पुत्र गोबरराम,
2. झूमरराम पुत्र गोबरराम
3. खटु देवी पत्नी बालूराम
4. केलकी पत्नी झूमरराम सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण नेतड़ा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. मोहनराम पुत्र चैनाराम, जाति मेघवाल निवासी नेतड़ा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर
2. राज्य सरकर जरिये तहसीलदार बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णयः–

दिनांकः–19.04.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की स्वतन्त्र तरमीम शुदा कृषि भूमि ग्राम नेतड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 58/1 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 70/1 रकबा 2.7991 हैक्टयर, खसरा संख्या 1214/139 रकबा 0.8090 हैक्टययर, खसरा संख्या 1218/1215 रकबा 0.8090 की भूमि आयी हुई है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जाएगा। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 के कब्जे काश्त मालिकाना हक की कृषि भूमि प्रार्थीगण के पड़ौस में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 58 रकबा 0.1133 हैक्टयर, खसरा संख्या 70 रकबा 2.7668 हैक्टयर, उक्त कृषि भूमि आपस में एक–दूसरे खसरे के चिपते ही माठो मांठ स्थित है। प्रार्थीगण कि कृषि भूमि 58/1, 70/1, 1214/139, 1218/1215 की पुरानी मांठे कायम की हुई है। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगणों को आपसी सहमति से माप–चौक कर सीमा कायम कर पक्की पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया इस हेतु अप्रार्थीगण राजी है । लेकिन मौके पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके में भिन्नता पाई रकबा जमांबदी अनुसार कम पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से प्रार्थीगण के मालिकाना कृषि भूमि खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर